स्थापना 1970/02 || संघे शक्ति कलौयुगे || पंजी.क्र. 275/02

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ

(प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों का शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन)

प्रांतीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल आवासीय परिसर के पास, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

प्रांताध्यक्ष	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष	प्रमुख संगठन मंत्री
संजय ठाकुर	उमेश भारती गोस्वामी	मनोज राय	गयाराम राजवाड़े	ओंकार सिंह
दंतेवाड़ा मो. 8120443204	महासमुन्द मो. 9826860263	रायगढ़ मो. 9826467374	बलरामपुर मो. 7089838828	बलरामपुर मो. 9424248869

स्वाभिमानी शिक्षक ही स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है

पत्र क्रमांक 127 दिनांक 27/12/2025

प्रति,

मान. श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय – नियमों की अवहेलना कर वर्ग विशेष को पदोन्नति प्रदान करने एवं जानबूझकर शिक्षा विभाग में अराजकता फैलाने के कुत्सित प्रयास में हस्तक्षेप कर रोकने विषयक।

संदर्भ : 1. लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के आदेश क्र./स्था. 2/ई संवर्ग/व्या.एल.बी.पदो.2025/ क्र. 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1465, 1467, 1469, 1471 अटल नगर दिनांक 26/12/2025.

2. छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल वार्ता पत्र क्रमांक 119 दिनांक 24/12/2025

महानुभाव,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि

1. शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) की घोर उपेक्षा करके 26.12.2025 को केवल शिक्षक एल.बी. संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति की गई है। शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) को वरिष्ठों की उपेक्षा पूरी तरह अनुचित व असंवैधानिक है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती पदोन्नति अधिनियम (राजपत्र मार्च 2019) का उल्लंघन है साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र व निर्देश के विपरीत है।

2. दिनांक 22.12.2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में केवल शिक्षक एल.बी. संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति हेतु नियम विरूद्ध डी.पी.सी. के उपरान्त छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा (पत्र क्रमांक 119 दिनांक 24/12/2025) श्री आशुतोष चवरे, उपसंचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को उपरोक्त विसंगतियों की ओर ध्यानाकृष्ट कराकर शीघ्र निराकरण की मांग रखी गई थी। माननीय उपसंचालक के आश्वासन के बाद भी उपरोक्त नियम विरूद्ध, असंवैधानिक पदोन्नति सूची वार्ता के दो दिन बाद ही उपसंचालक द्वारा ही हस्ताक्षरित दिनांक 26.12.2025 को निकाल दी गई है। जिसके कारण प्रदेश के शिक्षकों व प्रधान पाठकों (ई संवर्ग) में घोर आक्रोश व्याप्त है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री जी सादर निवेदन है कि शिक्षक एल.बी संवर्ग से व्याख्याता के नियम विरूद्ध पदोन्नति को तत्काल हस्तक्षेप कर निरस्त कराते हुए शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) तथा शिक्षक व प्रधान पाठक (एल.बी. संवर्ग) की संयुक्त डी.पी.सी. बनाकर दोनों ही संवर्गो के पात्र शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न – छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल वार्ता पत्र क्रमांक 119 दिनांक 24/12/2025 की प्रति

भवदीय

ओंकार सिंह	उमेश भारती गोस्वामी	संजय ठाकुर
प्रमुख संगठन मंत्री	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	प्रांताध्यक्ष

स्थापना 1970/02 ।। संघे शक्ति कलौयुगे ।। पंजी.क्र. 275/02

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ

(प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों का शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन)
प्रांतीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल आवासीय परिसर के पास, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

प्रांताध्यक्ष	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष	प्रमुख संगठन मंत्री
संजय ठाकुर	उमेश भारती गोस्वामी	मनोज राय	गयाराम राजवाड़े	ओंकार सिंह
दंतेवाड़ा मो. 8120443204	महासमुन्द मो. 9826860263	रायगढ़ मो. 9826467374	बलरामपुर मो. 7089838828	बलरामपुर मो. 9424248869

स्वाभिमानी शिक्षक ही स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है

पत्र क्रमांक 119 दिनांक 24/12/2025

प्रति,

1. मान. श्री गजेन्द्र यादव जी,
मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य)
2. मान. श्री विकासशील जी,
मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
3. मान. सचिव,
स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
4. मान. संचालक,
लोक शिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़

विषय – शिक्षक एल.बी संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति हेतु सम्पन्न डी.पी.सी. को निरस्त कर शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) तथा शिक्षक व प्रधान पाठक (एल.बी. संवर्ग) की संयुक्त डी.पी.सी. जाने करने विषयक।

संदर्भ : विभाग द्वारा 22.12.2025 को सम्पन्न शिक्षक एल.बी संवर्ग की पदोन्नति हेतु डी.पी.सी.।

महानुभाव,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 22.12.2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में केवल शिक्षक एल.बी संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की गई है जो पूरी तरह अनुचित व असंवैधानिक है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती पदोन्नति अधिनियम (राजपत्र मार्च 2019) का उल्लंघन है साथ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र व निर्देश के विपरीत है।

विदित हो कि पूर्व में प्राचार्य पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. की गई थी जिसमें व्याख्याता ई संवर्ग, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग व प्रधान पाठक माध्यमिक संवर्ग की संयुक्त डी.पी.सी. कर नियमानुसार पदोन्नति दी गई थी।

अतः सादर निवेदन है कि शिक्षक एल.बी संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति हेतु सम्पन्न डी.पी.सी. को निरस्त करते हुए शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) तथा शिक्षक व प्रधान पाठक (एल.बी. संवर्ग) की संयुक्त डी.पी.सी. जाने करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

ओंकार सिंह	उमेश भारती गोस्वामी	संजय ठाकुर
प्रमुख संगठन मंत्री	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	प्रांताध्यक्ष

स्थापना 1970/02 || संघे शक्ति कलौयुगे || पंजी.क्र. 275/02

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ

(प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों का शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन)

प्रांतीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल आवासीय परिसर के पास, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.)

प्रांताध्यक्ष	कार्यकारी प्रांताध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष	प्रमुख संगठन मंत्री
संजय ठाकुर	उमेश भारती गोस्वामी	मनोज राय	गयाराम राजवाड़े	ओंकार सिंह
दंतेवाड़ा मो. 8120443204	महासमुन्द मो. 9826860263	रायगढ़ मो. 9826467374	बलरामपुर मो. 7089838828	बलरामपुर मो. 9424248869

स्वाभिमानी शिक्षक ही स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है

पत्र क्रमांक 110 दिनांक 19/12/2025

प्रति,

मान. श्री विष्णुदेव साय जी,
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय : - शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी में आतिथ्य स्वीकार करने विषयक।

महानुभाव,

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ की दो दिवसीय प्रांत स्तरीय शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी दिनांक ०३ व ०४ जनवरी २०२६ को रायगढ़ में आयोजित की गई है जिसमें शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर चर्चा-परिचर्चा कर भविष्य की दिशा और दशा तय की जानी है।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि शिक्षक सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी कार्यक्रम के समापन समारोह (०४ .०१.२०२६) में अपनी गरिमामय उपस्थिति हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :

१. कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा

भवदीय

ओंकार सिंह	**उमेश भारती गोस्वामी**	**संजय ठाकुर**
प्रमुख संगठन मंत्री	**कार्यकारी प्रांताध्यक्ष**	**प्रांताध्यक्ष**